सबला-संघ की सक्रिय महिला पंचायतें

सुहास कुमार

दिल्ली की चार पुनर्वास बस्तियों में काम कर रही संस्था सबला-संघ का नाम 'सबला' के पाठकों के लिए नया नहीं है। यह उन्हीं बस्तियों की रहने वाली महिलाएं हैं। बस्तियां हैं—अंबेडकर नगर (द. दिल्ली), नंदनगरी और सीमापुरी (पूर्वी दिल्ली) और जहांगीर पुरी (पश्चिमी दिल्ली), सन् 1984 से शुरू हुआ इनका काम लगातार आगे बढ़ता ही गया है। एक ओर जहां लगातार बहनें जुड़ती रही हैं, दूसरी ओर काम का दायरा भी फैला है। 1993 से इन्होंने एक नया प्रयोग शुरू किया।

महिला पंचायत क्यों?

बस्ती की महिलाओं के साथ स्वास्थ्य, सफाई, अधिकारों के प्रति जागरूकता आदि काम के दौरान बस्ती की महिलाओं की अनेकों समस्याएं सामने आईं। कई बरसों की जान पहचान और विश्वास पैदा हो जाने से महिलाएं खुलकर बात करने लगीं। जब से काम शुरू हुआ आए दिन औरतों के साथ मारपीट, दहेज के कारण सताई गई लड़कियां, शराबखोरी तथा अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन, जुए व लाटरी आदि से परेशान तमाम मामले आते रहते थे। कोर्ट-कचहरी करने का न तो इनके पास समय है, न आर्थिक साधन। अगर इनका किसी तरह जुगाड़ हो भी जाए तो उन फैसलों पर अमल हो रहा है या नहीं, कौन देखता है।

सोचा, अपने स्तर पर सबला-संघ क्या कर सकता है? और इसी सोच ने जन्म दिया

महिला-पंचायतों को। उनका कहना है—"हमने पुरुषों द्वारा चलाई पंचायतें बहुत देखी व सुनी हैं। उनमें औरतों को कभी इंसाफ नहीं मिला। वहां औरतों की बात ही नहीं सुनी जाती है। उनके नज़रिए को समझना तो बहुत दूर की बात है।"

कार्यकारी ढांचा

हर महिला पंचायत में 10 सदस्य बहनें (उसी बस्ती की महिलाएं) बैठती हैं। यह अपनी बस्ती के ही केसों को लेती हैं। यानी ज़रूरी है कि एक पक्ष उसी बस्ती का रहने वाला हो। पंचायत के गठन के पहले ही इन्होंने तय कर लिया था कि इनमें किसी पार्टी की लीडर या किसी नेता की पत्नी को शामिल नहीं किया जाएगा। इनमें कुछ बहनें सन् '84 से काम कर रही हैं, कुछ बहनें अभी हाल में जुड़ी हैं।

गतिविधियां

झगड़े-फिसाद के मामले कभी भी आ सकते हैं। इन्हें दर्ज करने के लिए हर दिन सबला-संघ के बस्ती-स्थित दफ्तर में दो बहनें सुबह लगभग 11 से 2 बजे तक बैठती हैं। केसों की सुनवाई के लिए तारीखें दी जाती हैं। इन्होंने इसके लिए बुधवार का दिन चुना है। प्रतिवादी (दूसरे पक्ष) को सूचित किया जाता है। अगर वह भी उसी बस्ती का/की रहने वाली है तो यह खुद बातचीत करने जाती हैं। अगर दूसरा पक्ष कहीं और का रहनेवाला है तो उसके नाम रजिस्ट्री चिट्ठी भेजी जाती है।

अगर पहले बुलावे पर दूसरे पक्ष का कोई जवाब नहीं मिलता है तो यह फिर से उसके घर जातीं या चिट्ठी भेजती हैं। दोनों पक्षों से बातचीत के बाद फैसले लिए जाते हैं। फैसलों की लिखापढ़ी होती है। दोनों पक्षों और गवाहों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। ये बाद में हर पंद्रह दिन, महीने पर उनके घर जाती हैं और देखती हैं कि फैसलों पर अमल हो रहा है या नहीं।

कानूनी मशवरे के लिए एक वकील भी है। पेचीदा मामलों जैसे बहू को जलाने या ज़मीन जायदाद के मामलों को अदालत ले जाने में भी यह लोग मदद करती हैं। परिवारों में कलह न हो, किसी को अन्यथा न सताया जाए, आपसी मेलजोल और समझौता इनका मुख्य उद्देश्य है। जंगपुरा, दिल्ली स्थित एक्शन-इंडिया (इनका सहयोगी व परामर्शदाता संगठन) में इनकी दो या तीन महीने में एक, दिन-भर की बैठक होती है। उसमें वकील भी शामिल होते हैं। सारी बस्तियों की महिलाएं पंचायतों में आए मामलों की चर्चा करती हैं। उन पर आपसी तथा कानूनी राय लेती हैं। कानून की जानकारी से मामलों को सुलझाने में बहुत मदद मिलती है। फैसलों को भी इससे मजबूती मिलती है। बहुत सी ज़्यादतियों को कानूनी डर दिखाकर और सामाजिक दबाव से रोका एवं कम किया जा सकता है। ऐसा तथ्य भी सामने आया।

पंचायतों में आए कुछ मामले

- **12 वर्ष की मीना को पड़ोस के चाचा ने बहला-फुसलाकर जंगल में ले जाकर बलात्कार करने की कोशिश की। मीना की मां हिम्मत करके सबला-संघ के पास शिकायत लेकर आई। इलाके के पुलिस वालों ने केस दर्ज करने से इंकार कर दिया। तब सबला-संघ की बहनों ने खुद थाने जाकर केस दर्ज करवाया। सबला-संघ की बहनें 200 बहनों को लेकर**

चौकी पहुंचीं और मुजरिम से सबके सामने जुर्म कबूल करवाया।

- दक्षिणपुरी की गीता का पति शराब पीकर रोज उसकी मार-पिटाई करता था और खर्चा नहीं देता था। उसका पति एक सरकारी मुलाजिम है। जब वह समझाने से नहीं माना तो सबला-संघ की बहनें उसके दफ्तर पहुंचीं और उसके अफ़सर से बातचीत की। अब गीता को घर का खर्चा समय पर मिलता है।
- शबनम की शादी एक टेलर-मास्टर के साथ हुई। दो बच्चे होने के बाद उसने शबनम को घर में रखने से इंकार कर दिया। सबला-संघ ने कानूनी मदद से एक साल के अंदर शबनम को गुज़ारा-भत्ता दिलवाया।
- जहांगीरपुरी में रामप्यारी का पति शराब पीकर मार-पिटाई करता था। काम कुछ करता नहीं था, ऊपर से लाटरी की लत। ऐसे आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है? वह रामप्यारी को क्या खर्चा-पानी देगा? लेकिन आज रामप्यारी को यह सहारा है कि वह अकेली नहीं है और उसकी मार-पिटाई पर भी रोकथाम है।

दहेज-हत्या के मामले भी आते हैं। मां-बाप लड़की की परेशानी जानते-समझते हुए भी उसे ससुराल जाने को मजबूर कर देते हैं। कुछ ही समय बाद यह खबर मिलती है कि लड़की जल मरी। विमला, राजबाला, कुसुम, गुड्डी आदि के केस इनके पास जल जाने के बाद आए। दहेज विरोधी कानून होते हुए भी क़ानूनी तंत्र मदद नहीं करता। लड़की को न्याय नहीं मिल पाता। अपराधी खुलेआम घूमते हैं।

- रेणुबाला को ससुराल वालों ने शादी के दो साल बाद घर से निकाल दिया। उसका दहेज़ वापस लेने में सबला-संघ ने विशेष महिला पुलिस इकाई की मदद ली।

बहना कर महिला पंचायत मुकदमा खुद निबटाएंगे
खुद निबटाएंगे, मुक़दमा खुद निबटाएंगे
पुलिस थाने तुम मत जाना, पुलिस बड़ी बदमास
इस पुलिस से बचने का बस एक यही है राज़
कोर्ट कचहरी में जाने से पैसा होए बरबाद
फिर भी मिले नहीं इंसाफ।
मर्दों की पंचायत में बहना मिले न हमको न्याय
मिले न हमको न्याय, उल्टा दोषी हमें बताएं
महिला पंचायत में बहना सबकी सुनवाई होए
सबकी सुनवाई होए, फैसला सोच समझकर होए
बहिना कर महिला पंचायत मुक़दमा खुद निबटाएंगें।

सबला-संघ की बहिनों द्वारा रचा गीत

- ममता का बच्चा उसके ससुराल वालों ने रखकर उसे घर से निकाल दिया। उसका पति कोई काम नहीं करता, स्मैक पीने वाला और चाकूबाज है। इन्होंने पुलिस की मदद से बच्चा वापस ममता को दिलवाया।
- कमला, उम्र 30 साल, दो बच्चे उम्र 10 व 6 साल; इलाका मदनगीर। कमला की शादी को 12 साल हो गए हैं। शादी के चार साल तक तो ठीक-ठाक चलता रहा। पति सरकारी मुलाजिम हैं। 50 गज़ का प्लाट खरीदा। पांच झुग्गियां थीं, एक में रहते थे। चार किराए पर दे रखीं थी। फिर पति ने शराब पीना शुरू किया। अब तीन साल से लाटरी खेलना शुरू कर दिया। प्लाट व पांचों झुग्गियां बिक गईं। पूरी तनख्वाह लाटरी में जाने लगी है। घर का सारा सामान, टी वी, रेडियो, साइकिल आदि बिक गया। कुछ कहने पर पति मार-पीट करता है। बच्चे भूखे मरने लगे तो कमला ने घरों में बर्तन-सफाई आदि का काम शुरू किया। शक्की होने की वजह से काम भी छुड़वा दिया यह कह कर कि वह खर्चा देगा। लेकिन फिर भी उसने लाटरी नहीं छोड़ी। कमला ने फिर काम ले लिया है। कमला

कुछ गलत हो गया तो?

वे कहते थे—
न बोला करो
कुछ गलत बोल गये तो!
लेने के देने पड़ेंगे...

वे कहते थे—
न चलो
कहीं गलत चल पड़े तो!
लेने के देने पड़ेंगे...

वे कहते थे—
सवाल-जवाब न करो
कहीं गलत जवाब दे बैठे तो!
लेने के देने पड़ेंगे...

एक दिन
मैंने कहा—
आज मैं खाना नहीं बनाती
नमक गलत पड़ गया तो!
हल्दी ज्यादा पड़ गयी तो!
चावल कच्चा रह गया तो!

मैंने कहा—
आज मैं कपड़े भी नहीं धोती
कपड़े मैले रह गये तो!
आज मैं घर साफ नहीं करती
मैल जमा रह गई तो!
आज मैं चूल्हा नहीं जलाती
कहीं आग गलत लग गई तो!
लेने के देने पड़ेंगे...
है न!

—मणिमाला